फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री इन्द्रसिंह **विपक्षी : श्री रामसिंह**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 146/16**

जीसीएमएस : 2016/00340

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 06.12.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी सं. 2, 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा एक वाद बंटवाडे का प्रस्तुत किया था जिसमें प्रारम्भिक डिक्री पूर्व में जारी की जा चुकी हैं। केवल मात्र प्रारम्भिक डिक्री की पालना प्राप्त नहीं होने से वाद विचाराधीन हैं। उक्त प्रार्थना पत्र वादी द्वारा दिनांक 27.10.2016 को पेश किया गया था। इस प्रकार इस प्रकरण को दर्ज हुए लगभग 8 वर्ष का समय हो चुका हैं जबकि उक्त प्रकरण केवल मात्र अस्थाई निषेधाज्ञा (Temprery Injenction)का था। प्रकरण में पूर्व में भी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई। इस प्रकार 8 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली में पेश नहीं किया गया जिससे यह प्रतीत होता हो कि विपक्षीगण उक्त भूमि का विक्रय कर रहे है या प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर रहे हैं। विपक्षीगण भी वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। खातेदार काश्तकार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीं का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली** Signature Not Verified Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia Date: 2025.01.31 12:41:02 IST Reason: SelfAttested	